

न्यायालय उपखंड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर  
फरिदाबाद (बी.कॉम्प्लेक्स)

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

APP-A  
crim-1

जिला फरिदाबाद मुकाम \_\_\_\_\_

बनाम \_\_\_\_\_

क्रमांक 279/2017 नं. प्र० फ० सं.

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/2/18	<p>25/1/17 पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी मंडल से मुनाफिल होकर भाग्य रसुनिकरण पर्ज कर फाइलिंग के अधियक्षा को प्रतिदिन बार एडमिनिस्ट्रेशन के सुपलित करे। पत्रावली दिनांक 6/2/18 को फरिदाबाद आगामी कार्यवाही हेतु भेजा हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर फरिदाबाद</p> <p>पत्रावली पेश हुई वाली की ओर से रिफर स्टुटोकेर नरेन्द्र धरार उपस्थित। वकील वाली को साक्ष्य हेतु अंतिम आदेश दिया जाता है। पत्रावली वाले साक्ष्य दिनांक 26/3/18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर फरिदाबाद</p>	
26/3/18	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठनीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अन्वयन पर है/पत्रावली है अतः पत्रावली दिनांक 18/3/18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखंड अधिकारी, फरिदाबाद</p>	
29/3/18	<p><del>पत्रावली लाल कलामा शिवि/ लालकाना पर पेश हुई पत्रावली का गुणगुण के आधार पर प्रमाणित विवादात्मक जकारण में सारांश रूप से मोजा मामला परतवार में लालकाना स्थिति को ज्ञात</del></p>	

तारीख  
दुबम

कार्यालय उपखंड जोधपुरी  
पदेन सहायक जज  
कोटा (भीलवाड़ा) वाद  
प्र.क्र. 279/17

मुताबिक जमावड़ी सं 02067 से 2067  
 रणत सं 046 किरा-7 कुम रखा 14-07  
 बीष्णालुं इही प्रकार जमावड़ी सं  
 2069 से 2072 रणत सं 123 किरा  
 05 कुम रखा 28-11 बीष्णालुं रणत  
 सं 122 किरा 1 रखा 10-10 बीष्ण  
 श्रुमी में वदीमा डार, जित्तरी सं 22  
 आगू 10 में बीष्णालुं जो वदीमा  
 के रहते में दादा लुगत है सं  
 एक हिस्से अनुसार रणत डार बासिका  
 प्रामाणिक करामे जाने की न्यायालय  
 से मांग की गई। जित्तरी सं 1  
 नंदलाल पिता आगू यंत्र रिरत  
 में वदीमा के पिता के नाम  
 परिकार बनाया गया है।  
 जफर में उपलब्ध रकत  
 का अन्वेषण विमा नगमा/वदीमा  
 दादा अपने पद से एक हिस्से  
 अन्वेषण श्रुमी दिलाये जाने की मांग  
 की गई है। रणत रखा 10-10  
 के नाम के पत्र में दादा वदीमा  
 के पिता जित्तरी सं 1 को अन्वी  
 जाय नहीं है। साथ ही दादा को  
 के अन्वेषण से स्पष्ट है कि  
 वदीमा डार, इन्त में अन्वेषण  
 एक हिस्से की मांग की गई  
 है। इस के अन्वेषण को अन्वी  
 बहन जीवित है। न्यायालय  
 वाद पत्र में कही गई अन्वेषण  
 नहीं विमा नगमा है। अन्वेषण  
 है कि वदीमा न्यायालय के  
 समक्ष C Leave hand से प्रस्तुत

न्यायालय उत्तर प्रदेश

७ जे. २११/१७

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

परदेसवासियों के सम्बन्ध में मय इनिशियल्स जज  
करेड़ा (भीलवावा)

वाद

नहीं हुई है एवं अन्तर्गत को  
उजागर नहीं किया है

अतः वादी पर दारा-यह  
गया अनुगोष सभरे के इन्तर्गत  
में किया जाना संभव नहीं है।  
वर्ष १९६६ में पालिका के  
अनुगोष लिख कराने में स्पष्ट  
वादीया विफल रही है। विपक्ष  
में पिन का नोटिस भी कितना  
बन्ता है इसका कही पर भी  
उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन  
के आधार पर वादीया वास्तव  
पर विरुद्ध प्रतिबन्धी गण रपारोष  
विशेषाने के आदेश प्रदान किये  
जाते हैं। प्रमाणों पर ही विचार  
करके कानून लागू जावे। तदनुसार  
दिकी मुक्ति हो। प्रभावसीध  
वास्तव से कम की जाकर  
प्रमाण पुनः हो। तथा दारिद्र  
दफ्त हो।

निर्णय हेतु इजलासे सुनाया  
गया।

उपस्थित अधिकारी पबेन  
सहायक क्लर्क करेड़ा

मूलवाद में डिफ्री  
( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... नरेश .....

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट )

पीठासीन अधिकारी :- ए.ए.ए. 2017/1918

उपखण्ड अधिकारी नरेश के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि-

दावा बाबत 6/5 88, 188 92-5 RTA

मुकदमा नम्बर :- 279/17 2018

निर्वाह दिनांक :- 29-05-2018

खादी की ओर से ..... फी व प्रतिवादी की ओर से .....  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-05-18 को नरेश (नाम पीठासीन अधिकारी )  
उपखण्ड अधिकारी ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि-

वादी 20 को 53 निर-2 4 निवादी 2018  
निर 20 को 3-11-2018 पर 2018

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

नरेश  
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर  
पदेन सहायक कलक्टर .....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

# अ-वान

1. सुजी विमलाशुजि पुजी नन्दलाल सुजि  
 मा. का. के. भावा जीमती कमला प.  
 नन्दलाल सुजि निवानी मालारन दाल  
 केरपुर लह. करेज

वादीया

## अनाम

1. श्री नन्दलाल पिता भागु सुजि निव
2. श्री भागु पिता मेधा सुजि
3. श्री वाधु पिता मेधा सुजि
4. श्री धालु पिता मेधा सुजि
5. श्री गोकुल पिता मेधा सुजि
6. रामरथान राम शरिर् लक्ष्मीलदार  
करेज

विवाध  
लह.

— उतिवार्